अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2017 अनवानी जयप्रकाश निवासी एच–676 एमआईए द्वितीय फेज बासनी जोधपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की गई है कि उसके द्वारा 6 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1668–69 दिनांक 03.08.16 के द्वारा स्पष्ट जानकारी न देकर उसे गुमराह किया है। उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र के साथ आवेदन पत्र की प्रति न भिजवाये जाने के से इस न्यायालय के नोटिस सं0 754 दिनांक 06.04.17 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एवं आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की गयी।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2426 दिनांक 11.04.17 प्रस्तुत किया है कि अपलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1668 दिनांक 03.08.16 के द्वारा पंजिकृत डाक से उपलब्ध करवा दी गई है जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई हैः–

<table>
<tr><th>बिन्दु संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्रभारी अधिकारी पुनर्वास श्रीगंगानगर के पत्रांक 543 दिनांक 05.12.2014 पर दिये गये मार्गदर्शन की प्रति प्रमाण उपलब्ध कराये।</td><td rowspan="6">शासन उप सचिव महोदय राजस्व उपनिवेशन विभाग द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण पत्रांक प.3(15) उप/2015 जयपुर दिनांक 30.12.2015 द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण अनुसार दिनांक 22.09.2015 को माननीय राजस्व एवंम उपनिवेशन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में विधानसभा के कमेटी कक्ष में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि मोहनगढ में क्लेमेट आंवटियो को आवंटन हेतु आरक्षित है कस्टोडियन भूमि आवंटन के संबध में प्रकरण जिला कलक्टर जैसलमेर को भिजवाये जाने हेतु निर्देश दिये गय है। कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है। उक्त निर्देश की पालना में प्रार्थी का प्रकरण कार्यालय पत्रांक 1370 दिनांक 03.02.2016 द्वारा जिला कलक्अर महोदय जैयसलमेल को मूल पत्रावली सहित भिजवाया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अन्य जिले में भूमि आवंटन करने वाले अधिकारी के सन्दर्भ में मय पद व अधिकार के सन्दर्भ में मय पद व अधिकार के सन्दर्भ में मय प्रमाण जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अन्य जिले में आरक्षित भूमि को आवंटन करने वाले अधिकारी के सन्दर्भ में मय पद व अधिकार के सन्दर्भ में मय प्रमाण जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण हेतु अन्य जिले में उप निदेशन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि को आवंटन करने वाले अधिकारी के सन्दर्भ में मय पद व अधिकार के सन्दर्भ में मय प्रमाण जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रभारी अधिकारी पुनर्वास श्रीगंगानगर के पत्रांक 39 दिनांक 10.02.2012, 311 दिनांक 3.07.212 , 1539 दिनांक 08.10.2012, 227 दिनांक 02.04.2014, 248 दिनांक 16.04.2014, 278 दिनांक 25.05.2014, 360 दिनांक 31.07.2014, 393 दिनांक 21.08.2014, 543 दिनांक 05.12.2014 द्वारा आपसे लगातार निस्तारण हेतु मार्गदर्शन मांगा जा रहा है इस सन्दर्भ में बताया गया है कि अन्य जिले में कस्टोडियन निष्कान्त भूमि के रूप में आरक्षित भूमि को आवंटन करने का अधिकार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर मे निहित है अथवा नही अथवा कौन सक्षम अधिकारी/सक्षम आवंटन अधिकारी है के सम्बन्ध में चक 16 बीएचटी में मु0न0 80/27, 80/35 की भूमि का आवंटन दिनांक 17.08.1993 को किन नियमो के तहत किया गया है मय प्रमाण जानकारी दे।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>आपके पत्रांक एफ.2(57) राजस्व/पुर्नवास/2009/पार्ट दिनांक 15.05.2014 के 119/एन दिनांक 10.09.2014 के पश्चात के बिन्दुओ की जानकारी मय प्रमाण उपलब्ध कराये।</td></tr>
</table>

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 6 बिन्दुओ की सूचना बिन्दुवार उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही बिन्दुवार कोई निर्णय लिया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 6 बिन्दुओ की सूचना पर आदेश प्राप्ति से 10 दिवस में बिन्दुवार निर्णय लिया जावे कि अपीलार्थी को सूचना देय है अथवा नही? जो सूचना देय हो वह अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे और शेष के संबंध में अपीलार्थी को निर्णय से सूचित किया जावे कि सूचना क्यों देय नही है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा. रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर